

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद, बिजनौर।
वाद संख्या—351/2018
रुखसाना बनाम राजीव उर्फ राजू आदि।

27—03—2025

आज यह पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार—बार पुकार कराए जाने के उपरान्त भी पक्षकार अनुपस्थित। पक्षकारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली पुनः लन्च बाद पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

लन्च बाद

पत्रावली लन्च बाद पुनः पेश हुई। पुकार करायी गयी। बार—बार पुकार कराये जाने के बावजूद पक्षकार अनुपस्थित हैं। वादी द्वारा कोई भी मौका प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विगत कई तिथियों से वादी अनुपस्थित है। वादी को पत्रावली में उपस्थित होने का और अपने दावा पर बल देने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु वह उपस्थित नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद के निस्तारण पर कोई बल देना नहीं चाहता है। अतएव उक्त वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
नजीबाबाद, बिजनौर।